कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–प्रारं / नियु.प्रको. / नियु–2 / 982 / अ.भ. 2021–22 / ले–I / पात्रता / दस्ता.सत्या. / 2022 /   दिनांकः 03.03.2022

विज्ञप्ति

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22 अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्र में अध्यापक, लेवल–प्रथम (सामान्य शिक्षा / विशेष शिक्षा) के पदों पर दस्तावेज सत्यापन / पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किये गये अभ्यर्थियों के लिए सूचना :–

राजस्थान प्राथमिक और राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22 अन्तर्गत अध्यापक, लेवल–प्रथम (सामान्य शिक्षा / विशेष शिक्षा) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांकः 31.12.2021 को जारी विज्ञप्ति के तहत क्षेत्रवार / वर्गवार विज्ञापित पदों की दो गुणा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन / पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किया जाकर दिनांकः 27.02.2022 को पदवार / नामवार सूचियां मय दस्तावेज सत्यापन हेतु आवंटित जिला तथा पदवार / वर्गवार कट–ऑफ मार्क्स विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in/elementary पर अपलोड की गई है।

उक्त अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22 अन्तर्गत अध्यापक, लेवल–प्रथम (सामान्य शिक्षा / विशेष शिक्षा) के वर्गवार विज्ञापित पदों की दो गुणा शॉर्ट लिस्टेड किये गये अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दस्तावेज सत्यापन / पात्रता जांच हेतु विभागीय वेबसाईट पर जारी **"दिशा–निर्देशों"** का अवलोकन करें एवं https://rajshaladarpan.nic.in /newposting/ पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाते हुए वांछित दस्तावेज अपलोड करें।

दस्तावेज सत्यापन / पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किये गये अभ्यर्थी उक्त पोर्टल पर दिनांकः 05.03.2022 से 10.03.2022 तक रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेन्ट अपलोड करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन / पात्रता जांच हेतु https://rajshaladarpan.nic.in /newposting/ पोर्टल पर स्थान एवं तिथि का निर्धारण किया जायेगा जो सम्बन्धित अभ्यर्थी की लॉगिन में प्रदर्शित होगा तथा रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर / ई–मेल पर सूचित किया जायेगा।

अतः शॉर्ट लिस्टेड किये गये सभी अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन आई.डी. से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन के स्थान एवं तिथि के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहे। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अन्तिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(काना राम)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्राशि)
राजस्थान, बीकानेर